कार्यालय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, अनुभाग–3 त0ना0त0, लखनऊ।

संख्याः 6395/3– त0ना0त0–147/2014, दिनांक : नवम्बर 04 2016

प्रोन्नति/ तैनाती आदेश

परिषद एतद्द्वारा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली–2003 यथासंशोधित –2014 में प्राविधानित व्यवस्था के अधीन नायब तहसीलदार पद पर प्रोन्नति हेतु लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा दिनांक 22–9–2016 को सम्पन्न कराये गये चयन के कम में आयोग से प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर नीचे तालिका में अंकित पोषक संवर्ग (राजस्व निरीक्षक) के कार्मिकों को नायब तहसीलदार पद पर वेतनमान रूपया 9300–34800 ग्रेड वेतन रूपया 4200/– में प्रोन्नत करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखने तथा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या–7 में अंकित जनपद में तैनात करने के आदेश प्रदान करते हैं:–

कमांक	कोटि कमांक	नाम	जन्मतिथि	पोषक संवर्ग में मूल पद	वर्तमान तैनाती जनपद	प्रोन्नति के उपरान्त तैनाती जनपद
1	2	3	4	5	6	7
1	79	श्री अजय कुमार	01–01–59	र0का0	पीलीभीत	पीलीभीत
2	113	श्री धर्मपाल	01–01–57	र0का0	बरेली	मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, बरेली
3	750	श्री विचित्र नारायण श्रीवास्तव	14–3–59	राजस्व निरीक्षक	उन्नाव	उन्नाव

1–उक्त नव प्रोन्नत कार्मिकों की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक *ज्येष्ठता नियमावली –1991 के* प्राविधानों के अन्तर्गत बाद में निर्धारित की जायेगी।

2–उक्त नव प्रोन्नत कार्मिकों को परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा ।

3–उक्त नव प्रोन्नत नायब तहसीलदारों को नायब तहसीलदार सेवा नियमावली–2003 यथासंशोधित– 2014 के नियम–18 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार साढे चार माह का प्रशिक्षण ग्रहण करना होगा जिसके सम्बन्ध में पृथक से आदेश से निर्गत किया जायेगा।

4–उक्त प्रोन्नति आदेश सम्बन्धित कार्मिक के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा।

राजस्व परिषद के आदेश से,

(धीरज साहू)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– जिलाधिकारी, पीलीभीत, बरेली, एवं उन्नाव को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने जनपद में कार्यरत प्रोन्नति प्राप्त कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण कराते हुए इस सम्बन्ध में सूचना परिषद को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– मण्डलायुक्त, लखनऊ तथा बरेली ।

3– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–9, लखनऊ।

4– सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आयोग के पत्र दि0 5–10–2016 के कम में ।

5– प्रभारी अधिकारी, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, अनुभाग–4, लखनऊ।

6– प्रमुख प्रणाली विशेषज्ञ, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, कम्प्यूटर सेल, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

7– निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष/ आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8– गार्ड फाइल/ चरित्र पंजी सहायक, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, अनुभाग–3, लखनऊ।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)
प्रभारी अधिकारी ,
कृते आयुक्त एवं सचिव।